

हरति वधिन के प्रवर्तन में अंतराल

प्रलिमिंस के लयि:

वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986, राष्ट्रीय हरति अधकिरण अधनियम, तटीय वनियमन क्षेत्र अधसिचना, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

मेन्स के लयि:

पर्यावरण प्रदूषण और गरिवट, भारत में पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन संबंधी मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के बीच पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 11,500 से अधिक पर्यावरण और वन मंजूरी प्रदान की हैं।

- हालाँकि संवेदनशील राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रभावी अनुपालन तंत्र की अनुपस्थिति के कारण जलवायु परिवर्तन संरक्षण प्रतबिद्धताओं की अनदेखी करने हेतु प्रायः सरकार के विकास रोडमैप की आलोचना की जाती है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण का कानूनी ढाँचा:

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - संवधान का [अनुच्छेद 48A](#) निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
 - [अनुच्छेद 51A](#) में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा।
- **कानूनी प्रावधान:**
 - वन्यजीव संरक्षण अधनियम, 1972
 - वन (संरक्षण) अधनियम, 1980
 - पर्यावरण (संरक्षण) अधनियम, 1986
 - राष्ट्रीय हरति अधकिरण (एनजीटी) अधनियम, 2010
 - तटीय वनियमन क्षेत्र अधसिचना, 2011
 - पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2006

भारत में पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित मुद्दे:

- **कर्मियों का अभाव:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास हरति कानूनों के तहत क्षेत्रों का सत्यापन करने के लिये 80 से कम अधिकारी हैं जिनसे वर्ष में कम-से-कम एक बार हज़ारों परियोजना स्थलों का दौरा करने की उम्मीद की जाती है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** वर्ष 2006 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सभी पर्यावरण संस्थानों के लिये आवश्यक धनराशि के आवंटन में "मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की अनुपस्थिति" को दोषी ठहराया गया।
 - कमोबेश यही स्थिति अभी भी बनी हुई है।
- **हरति मंजूरी की कमी:** नगिरानी तंत्र को मज़बूत करने और प्रभावी दंडात्मक उपायों को लागू करने के बजाय सरकारों ने एमनेस्टी (पोस्ट-फैक्टो क्लीयरेंस), प्रोत्साहन (सब्सिडी) या स्व-प्रमाणन पर भरोसा किया है।
- **सार्वजनिक भागीदारी का अभाव:** भारत में हरति कानून पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी का अभाव बना हुआ है।
 - मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रतजागरूकता व सहानुभूति बढ़ाने के लिये नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।

भारत में हरति वधिानों के उल्लंघन के कुछ उदाहरण:

■ केन-बेतवा लकि परयोजना (KBLP):

- 90 के दशक के मध्य में जब इसे प्रस्तावति कयिा गया था, **KBLP** को कई वशिषज्जों द्वारा इसकी अत्यधिक पर्यावरणीय लागत के लयि अव्यवहारकि माना गया है ।
- वर्ष 2011 में इस परयोजना को खारज़ि कर दयिा गया था, वर्ष 2016 में इसे केवल तकनीकी-आर्थकि मंजूरी प्रदान की गई ।
- वर्ष 2017 में **पनना टाइगर रज़िर्व** में कषतपूरत के तौर पर 60.17 वर्ग कमी. की समान राजस्व भूमकि वन भूमकि के तौर पर जोड़ने की शर्त के साथ इसे वनीकरण मंजूरी प्रदान की गई ।

■ अरुणाचल प्रदेश:

- पर्यावरण मंत्रालय और राज्य दोनों 17 वर्षों से 2000 मेगावाट की सुबनसरी परयोजना को मंजूरी देने के लयि वर्ष 2004 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधरीपति सबसे महत्त्वपूरण शर्त की अनदेखी कर रहे हैं ।
- मंत्रालय ने दो बार अस्वीकृत **3,000 मेगावाट की दबिांग बहुउद्देशीय परयोजना** को अंतमि वन मंजूरी दी, जबकि इस बात से अवगत कराया गया था कि अरुणाचल प्रदेश ने जलग्रहण वाले वनों को राष्ट्रीय उद्यान घोषति करने की प्रमुख पूर्व शर्त का पालन नहीं कयिा था ।

आगे की राह

- **पृथक स्वतंत्र वनियिमन:** एक प्रभावी नयिमक नकाय की महत्त्वपूरण वशिषताएँ **मानक-नरिधारण, नगरिानी और प्रवर्तन में स्वतंत्रता** है ।
 - पर्यावरण कानूनों के खंडति सुधार से पहले एक स्वतंत्र नकाय की स्थापना होनी चाहयिे ।
- **दूसरी पीढ़ी का सुधार:** पर्यावरण वनियिमन हेतु दूसरी पीढ़ी का सुधार, जो पर्यावरण एवं सामुदायकि अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ उद्योग के लयि समय और लेन-देन लागत को कम करेगा ।
- **कानूनों का सरलीकरण:** बहुलता को कम करने, पुरातन कानूनों को हटाने और नयिमक प्रक्रयिा को कारगर बनाने के लयि इसकी आवश्यकता है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gaps-in-enforcement-of-green-legislations>

